**शीर्ष प्राथमिकता**

**संख्या-04/2017/ए-140/दस-2017-10(10)/2017**

**प्रेषक,**

**मुकेश मित्तल**
**सचिव।**
**उ0प्र0 शासन।**

**सेवा में,**

**समस्त जिलाधिकारी,**
**उत्तर प्रदेश।**

**वित्त (लेखा) अनुभाग-1** **लखनऊ : दिनांक 10 फरवरी, 2017**

**विषय- विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2017 के अवसर पर जनपदीय/अन्तर्जनपदीय होमगार्डस स्वयं सेवकों को उनके डियूटी भत्ते का 50 प्रतिशत अग्रिम नकद भुगतान करने विषयक ।**

**महोदय,**

उपुर्यक्त सम्बन्धी कमाण्डेण्ट जनरल होमगार्डस मुख्यालय उत्तर प्रदेश के पत्रांक 3753/लेखा/विधान सभा निर्वाचन-102/2016 दिनांक 01 फरवरी, 2017 द्वारा 50 प्रतिशत अग्रिम नगद भुगतान किये जाने का शासन से अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अपने अधीनस्थ समस्त कोषागारों को इस आशय के निर्देश देने का कष्ट करें कि यदि संबंधित आहरण-वितरण अधिकारियों द्वारा विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2017 हेतु उपुर्यक्त कार्य के लिये नकद भुगतान की मॉग की जाती है तो नियमानुसार भुगतान किये जाने की व्यवस्था कराने का कष्ट करें।

**भवदीय,**

**मुकेश मित्तल**
**सचिव।**

**संख्या-04/2017/ए-1-140(1)/दस-2017-10 (10)/2017 तददिनांक**

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(1-) निदेशक, कोषागार निदेशालय उ0प्र0, 1018-जवाहर भवन लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे इस सम्बन्ध में समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी उ0प्र0 को आवश्यक निर्देश अपने स्तर से जारी करने का कष्ट करें।

(2) समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(3) प्रमुख सचिव, होमगार्डस, उत्तर प्रदेश शासन।

(4) कमाण्डेण्ट जनरल, होम गार्डस मुख्यालय उत्तर प्रदेश, पुरानी जेल रोड, लखनऊ-226005

(5) सहायक महाप्रबन्ध (सरकारी व्यवसाय) भारतीय स्टेट बैंक, सरकारी व्यसाय विभाग, स्थानीय प्रधान कार्यालय मोती महल मार्ग, लखनऊ-226001

(6) महाप्रबन्धक, इलाहाबाद बैंक, मुख्य शाखा हजरतगंज, लखनऊ-226001

**आज्ञा से,**

**राजीव श्रीवास्तव**
**विशेष सचिव।**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in